रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231296
CG-DL-E-23112021-231296

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943
No. 579] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943

IndiaCode

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2021

F. No: AD-11023/2/2021-ADMIN-R-HO-CPCB-HO.—केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनमोदन से, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 का 6) की धारा 12 की उप-धारा (3क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सदस्य सचिव को छोड़कर अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, सेवा की निबंधन और शर्तें) विनियम, 1995, और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डाटा प्रोसोसिंग सहायक की भर्ती की पद्धति, सेवा की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2013 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसा अधिक्रमण किए जाने से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:- इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सदस्य सचिव को छोड़कर अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, सेवा की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2021 है।

 (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**: - इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 के तहत गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड के अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "सदस्य-सचिव" से बोर्ड के सदस्य-सचिव अभिप्रेत है;

(घ) "कर्मचारी" से ऐसे किसी अधिकारी या सेवक जिसे अनुसूची-I के स्तम्भ (2) में दर्शाए गए अनुसार बोर्ड के कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया हो अभिप्रेत है;

(ङ) "पद" से समूह 'क', समूह 'ख' अथवा समूह 'ग' (एमटीएस के रूप में पुनः पदनामित पूर्ववर्ती पदों के सहित) के पदों से है, ऐसे पद तदनुसार अनुसूची-II के स्तम्भ (3) में, यथास्थिति, समूह 'क', समूह 'ख' अथवा समूह 'ग' के रूप में विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

3 **विद्यमान कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान:**- इन विनियमों के लागू होने के समय वे सभी व्यक्ति जो इस बोर्ड के कर्मचारी हैं उन्हें अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट संबंधित पदों पर नियुक्त किया गया माना जाएगा।

4. **बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी:**– बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियाँ तथा इनके वेतन मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

5. **संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर, भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं:**– पदों के नाम, इनकी संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर, भर्ती की पद्धति, आयु-सीमाएं, अर्हताएं तथा उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले अनुसूची-II के स्तम्भ (1) से (12) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

6. **अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, छुट्टी तथा सेवा की अन्य शर्तें:**-(1) बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची-I के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी स्तर के पद धारण करने वाले अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए समय-समय पर यथा लागू संशोधन तथा इस समय प्रवृत्त नियम और आदेश भत्तों, अवकाश, कार्यभार ग्रहण करने का समय, कार्यभार ग्रहण करने के समय के वेतन, भविष्य निधि, उपदान, सेवानिवृत्ति की आयु, सेवानिवृत्ति लाभ, चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित सेवा की शर्तों और बोर्ड के कर्मचारियों की अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करेंगे, जिसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समतुल्य लचीली अनुपूरक योजना के अधीन शामिल किए गए वैज्ञानिक और इंजीनियर अर्थात् "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (संशोधन) विनियम, 2011 में वैज्ञानिक और तकनीकी समूह 'क' पद" द्वारा यथा संशोधित "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विनियम, 2009 में वैज्ञानिक और तकनीकी समूह 'क' पद" भी शामिल हैं।

7. **नियुक्ति प्राधिकारी:**– (1) समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों पर नियुक्तियां अध्यक्ष द्वारा की जाएंगी:

परन्तु इस उपबंध में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 या इससे ऊपर आने वाले पद के संबंध में कोई भी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अध्यक्ष द्वारा नहीं की जाएगी।

(2) समूह 'ग' (एमटीएस के रूप में पुनः पदनामित पूर्ववर्ती पदों के सहित) की सभी नियुक्तियां सदस्य सचिव द्वारा की जाएंगी।

8. **व्यावृत्ति:**– इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष प्रवग के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित है।

9. **शिथिल करने की शक्ति:–** जहां बोर्ड की राय में यह किया जाना आवश्यक या समीचीन हो तो यह केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके, आदेश द्वारा और लिखित में निमित्त कारणों को दर्ज करके किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी अन्य उपबंधों को शिथिल कर सकता है।

10. **ऐसे मामले, जिनके संबंध में कोई उपबंध नहीं किया गया है:–** अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित ऐसे मामलों के संबंध में जिनके संबंध में इन विनियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है उनको निर्णय करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाएगा।

11. **विविध:–** सीधी भर्ती के सभी मामलों में, सभी कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि को पूरा करने हेतु कम से कम दो सप्ताह की अवधि के एक प्रशिक्षण की पूर्वापेक्षा होगी और प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

अनुसूची - I

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पद और वेतन मैट्रिक्स में स्तर

[विनियम 2(घ), 3, 4 और 6 देखिए]

क्रम सं.	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)
1.	ज्येष्ठ विधि अधिकारी	स्तर-12 (रु.78800-209200)
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	स्तर-12 (रु.78800-209200)
3.	प्रशासनिक अधिकारी	स्तर-11 (रु.67700-208700)
4.	विधि अधिकारी	स्तर-11 (रु.67700-208700)
5.	लेखा अधिकारी	स्तर-7 (रु.44900-142400)
6.	सहायक लेखा अधिकारी	स्तर-7 (रु.44900-142400)
7.	सहायक विधि अधिकारी	स्तर-7 (रु.44900-142400)
8.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	स्तर-7 (रु.44900-142400)
9.	वैयक्तिक सचिव	स्तर-7 (रु.44900-142400)
10.	ज्येष्ठ तकनीकी पर्यवेक्षक	स्तर-7 (रु.44900-142400)
11.	अनुभाग अधिकारी	स्तर-7 (रु.44900-142400)
12.	प्रारुपण पर्यवेक्षक	स्तर-6 (रु.35400 - 112400)
13.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक	स्तर-6 (रु.35400 - 112400)
14.	ज्येष्ठ अनुवादक	स्तर-6 (रु.35400 - 112400)
15.	तकनीकी पर्यवेक्षक	स्तर-6 (रु.35400 - 112400)
16.	सहायक	स्तर-6 (रु.35400 - 112400)
17.	लेखा सहायक	स्तर-6 (रु.35400 - 112400)
18.	कनिष्ठ अनुवादक	स्तर-6 (रु.35400 - 112400)
19.	आशुलिपिक श्रेणी-I	स्तर-6 (रु.35400 - 112400)

IndiaCode

क्रम सं.	पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)
20.	प्रकाशन सहायक	स्तर-6 (रु.35400 - 112400)
21.	ज्येष्ठ प्रारुपकार	स्तर-6 (रु.35400 - 112400)
22.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक	स्तर-6 (रु.35400 - 112400)
23.	चालक विशिष्ट श्रेणी	स्तर-6 (रु.35400 - 112400)
24.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्रेणी-I	स्तर-5 (रु.29200 -92300)
25.	चालक श्रेणी-I	स्तर-5 (रु.29200 -92300)
26.	कनिष्ठ तकनीशियन	स्तर-4 (रु.25500-81100)
27.	ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक	स्तर-4 (रु.25500-81100)
28.	चालक श्रेणी-II	स्तर-4 (रु.25500-81100)
29.	आशुलिपिक श्रेणी-II	स्तर-4 (रु.25500-81100)
30.	प्रवर श्रेणी लिपिक	स्तर-4 (रु.25500-81100)
31.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्रेणी -II	स्तर-4 (रु.25500-81100)
32.	चालक (साधारण श्रेणी)	स्तर-2 (रु 19900 -63200)
33.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	स्तर-2 (रु.19900 -63200)
34.	अवर श्रेणी लिपिक	स्तर-2 (रु.19900 -63200)
35.	मल्टी टास्किंग स्टाफ श्रेणी-I	स्तर-2 (रु.19900 -63200)
36.	क्षेत्रिय परिचर	स्तर-1 (रु.18000 -56900)
37.	मल्टी टास्किंग स्टाफ	स्तर-1 (रु.18000 -56900)

IndiaCode

अनुसूची - II

[विनियम 2(ङ), और 5 देखिए]

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचमन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.ज्येष्ठ विधि अधिकारी	1* (2021) * कार्य की अधिकता पर निर्भर करते हुए कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रु.78800-209200)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

क्या प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में, सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में, श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति आमेलन की जानी है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो इसकी संरचना है।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)	**प्रोन्नति:** ऐसा विधि अधिकारी जिसने वेतन मैट्रिक्स (रु.67,700-2,08,700) में स्तर-11 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिपण्णी:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि की संविदा सहित):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव या सलाहकार (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

			(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु.67,700–2,08,700) में स्तर-11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो। (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं एवं अनुभव हो: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री, और (ii) जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अर्हक विधि-व्यवसायी होना चाहिए, जिसके पास कम से कम आठ वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से पाँच वर्षों का अनुभव उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में पर्यावरण संबंधी मुकदमों के मामले संभालने का होना चाहिए। या (iii) ऐसे व्यक्ति जिन्हें पर्यवेक्षी स्तर पर अधिमानतः पर्यावरण संबंधी प्रदूषण से संबंधित मामलों में, विधि परामर्श देने का कम से कम आठ वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1:** पात्रता सेवा उन व्यक्तियों के लिए जो संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण	

IndiaCode

			किए हुए हैं, वही बनी रहेगी। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इन नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	01 * (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रु.78800-209200)	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)	**प्रोन्नति:** ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जिसने वेतन मैट्रिक्स (रु.67,700-2,08,700) में स्तर-11 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव या सलाहकार (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अथवा उसका

			दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु.67,700–2,08,700) में स्तर-11 में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो। (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री, और (ग) जिसके पास प्रशासन या लेखा या स्थापना में पर्यवेक्षी क्षमता में 10 वर्ष का अनुभव हो। **वांछनीयः** कार्मिक प्रबंधन में परा स्नातक डिप्लोमा या कार्मिक प्रबंधन में विशेज्ञता के साथ व्यावसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री। **टिप्पण 1:** पात्रता सेवा उन व्यक्तियों के लिए जो संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, वही बनी रहेगी। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार	नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

			प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इन नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. प्रशासनिक अधिकारी	07* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 67,700–2,08,700) में स्तर-11	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स (रु.44,900- 1,42,400) में स्तर-7 में सात वर्षों की नियमित सेवा वाले अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी और वैयक्तिक सचिव। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव या सलाहकार (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

IndiaCode

			दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण**: *पचास प्रतिशत रिक्तियों को अनुभाग अधिकारियों की श्रेणी से, पच्चीस प्रतिशत रिक्तियों को लेखा अधिकारी और पच्चीस प्रतिशत रिक्तियों को वैयक्तिक सचिव की श्रेणी से भरा जाएगा। यदि दोनों श्रेणियों में से किसी में भी कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं होगा तो पद को उस श्रेणी से भरा जाएगा जिसमें पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध है।* **टिप्पण 1:** अनुभाग अधिकारियों, लेखा अधिकारियों और वैयक्तिक सचिवों की परस्पर ज्येष्ठता संबंधित श्रेणी में नियमित नियुक्ति की तारीख के अनुसार होगी। **टिप्पण 2:** उन व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा जो संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, वही बनी रहेगी। **टिप्पण 3:** प्रशासनिक अधिकारी की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विचार करने हेतु अर्हक सेवा की गणना करते समय, स्तर–7 में की गई कुल नियमित सेवा को	

Indiacode

			विचार में लिया जाएगा।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. विधि अधिकारी	*02 (2021) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु.67,700–2,08,700) में स्तर-11	चयन	40 वर्ष तक। **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा तय करने हेतु निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी और न कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिला व चम्बा जिले के उप-मंडल पांगी और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडामान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहने वालों के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख।	**अनिवार्य** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री; और (ii) राज्य न्यायिक सेवा के एक अधिकारी के रूप में सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए; या (iii) केन्द्रीय सरकार का सेवक होना चाहिए, जिसे विधि संबंधी मामलों का सात वर्ष का अनुभव हो; या (iv) किसी राज्य के विधि विभाग में सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए; या (v) एक अर्हक विधि-व्यावसायी होना चाहिए जिसने सात वर्ष तक व्यावसाय किया हो। **टिप्पण:** सात वर्ष के अनुभव की आवश्यकता के संबंध में वकालत की अवधि के साथ विधि परामर्श की अवधि की गणना की जाएगी।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष	प्रोन्नति के द्वारा जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के विफल होने पर सीधी भर्ती के द्वारा।	**प्रोन्नति:** स्तर–7 में सात वर्षों की नियमित सेवा वाले सहायक विधि अधिकारी। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि	**चयन समिति:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव या सलाहकार (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाले) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए गए दो विशेषज्ञ - **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड –**सदस्य।**

			उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु.56,100–1,77,500) में स्तर-10 में नियमित आधार पर, उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव रखता हो। **टिप्पण 1:** उन व्यक्तियों के लिए जो संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी।	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव या सलाहकार (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाले) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

India Code

			टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इन नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. लेखा अधिकारी	02* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 44900-142400) में स्तर-7	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स (रु.44,900-1,42,400) में स्तर-7 में दो वर्ष की नियमित सेवा वाला सहायक लेखा अधिकारी **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक या उप सचिव (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाले) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा

			उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने विभाग के मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स (रु.35,400–1,12,400) में स्तर-6 या समकक्ष में नियमित आधार पर, उस पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखता हो: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री के साथ पर्यवेक्षी स्तर पर पाँच वर्ष का अनुभव अथवा लेखा, लेखा परीक्षा और वित्तीय प्रबंधन में पाँच वर्ष का अनुभव रखने वाला अधीनस्थ लेखा परीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा लेखाकार।	नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

			टिप्पण 1: उन व्यक्तियों के लिए जो संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इन नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. सहायक लेखा अधिकारी	5* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 44,900-1,42,400) में स्तर-7	चयन	पैंतीस वर्ष तक। **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा तय करने हेतु निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम	**अनिवार्य**: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में डिग्री के साथ पर्यवेक्षी स्तर का पाँच वर्ष का अनुभव अथवा किसी प्रख्यात संगठन या संस्थान में लेखा, लेखा परीक्षा और संबंधित वित्त कार्यों में पाँच वर्ष के अनुभव वाला एक अधीनस्थ लेखा परीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा लेखाकार। **वांछनीय**: चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट्स एन्ड अकाउंट्स का संबद्ध सदस्य। **टिप्पण:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या

					तारीख होगी और न कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिला व चम्बा जिले के उप-मंडल पांगी और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडामान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहने वालों के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख।	अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन के किसी भी स्तर पर अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)	अस्सी प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)। बीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स (रु.35,400-1,12,400) में स्तर–6 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाला लेखा सहायक। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):**	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव या सलाहकार (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाले) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

IndiaCode

			केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने विभाग के मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स (रु.35,400–1,12,400) में स्तर-6 या समकक्ष में नियमित आधार पर, उस पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) सीधी भर्ती वालों के लिए स्तम्भ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं एवं अनुभव रखता हो। **टिप्पण 1:** उन व्यक्तियों के लिए जो संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इन नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. सहायक विधि अधिकारी	02* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 44,900-1,42,400) में स्तर-7	लागू नहीं होता।	30 वर्ष तक **टिप्पण:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। **टिप्पण:** आयु-सीमा तय करने हेतु निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी और न कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिला व चम्बा जिले के उप-मंडल पांगी और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडामान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहने वालों के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख।	**अनिवार्य** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक में डिग्री; और (ii) राज्य न्यायिक सेवा के एक अधिकारी के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए; या (iii) केन्द्रीय सरकार का सेवक होना चाहिए, जिसे विधि संबंधी मामलों का पाँच वर्ष का अनुभव हो; या (iv) किसी राज्य के विधि विभाग में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए; या (v) एक अर्हक विधि-व्यावसायी होना चाहिए जिसने पाँच वर्ष तक व्यावसाय किया हो। **टिप्पण:** पाँच वर्ष के अनुभव की आवश्यकता के संबंध में वकालत की अवधि के साथ विधि परामर्श की अवधि की गणना की जाएगी। **सीधी भर्ती के लिए:** **टिप्पण 1:** अभ्यर्थि के अन्यथा सुयोग्य होने के मामले में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विवेकाधीन अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन के किसी भी स्तर पर अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के एक या एक से अधिक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर होने या अन्य परिस्थितियों के	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु

		अन्तर्गत दूर जाने के कारण बनी रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने विभाग या मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स (रु.35,400–1,12,400) में स्तर-6 या समकक्ष में नियमित आधार पर, उस पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) सीधी भर्ती वालों के लिए स्तम्भ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं एवं अनुभव रखता हो। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इन नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव या सलाहकार (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाले) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. सहायक निदेशक (राजभाषा)	01* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 44,900-1,42,400) में स्तर-7	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)। (संयुक्त विधि)	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** 1. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने विभाग या मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स (रु.35,400–1,12,400) में स्तर-6 या समकक्ष में नियमित आधार पर, उस पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखता हो: **अनिवार्य अर्हता:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर की डिग्री; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर की डिग्री; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में और हिंदी व अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में, हिंदी माध्यम से मास्टर की डिग्री; या	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव या सलाहकार (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाले) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

			(iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में और हिंदी व अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में, अंग्रेजी माध्यम से मास्टर की डिग्री; या (v) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो और साथ में हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी अन्य विषय में मास्टर की डिग्री; और (ग) (i) केन्द्रीय या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थानों के अन्तर्गत अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य करने में और हिंदी में शब्दावली (शब्दावली कार्य) को प्रयोग में लाने/अनुप्रयोग करने का तीन वर्षों का अनुभव; या (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थानों के अन्तर्गत हिंदी और अंग्रेजी के अध्यापन या हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** उन व्यक्तियों के लिए जो संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं,	

IndiaCode

			पात्रता सेवा वही बनी रहेगी। **टिप्पण 2:** इस या अन्य संगठन या केन्द्रीय सरकार के विभाग या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या केन्द्रीय या राज्य के स्वायत्त या कानूनी निकायों में ठीक इस नियुक्ति पर जाने से पूर्व धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **प्रोन्नति**: (घ) श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके विभागीय ज्येष्ठ अनुवादकों पर भी विचार किया जाएगा और यदि उसका चयन इस पद पर नियुक्ति के लिए हो जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया पद माना जाएगा। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. वैयक्तिक सचिव	20* (2021) *	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 44,900-	चयन	30 वर्ष तक। **टिप्पण1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की

	कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		1,42,400) में स्तर-7		आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। **टिप्पण2:** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी और न कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिला व चम्बा जिले के उप-मंडल पांगी और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडामान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहने वालों के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख।	डिग्री अथवा समकक्ष अर्हता (ख) (i) अंग्रेजी आशुलिपि और कम्प्यूटर पर टंकण की क्रमशः 120 शब्द प्रति मिनट और 40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ परीक्षा पास करना; या (ii) क्रमशः 120 शब्द प्रति मिनट और 35 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति पर कम्प्यूटर पर हिंदी आशुलिपि और टंकण की परीक्षा पास हो। (ग) सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में आशुलिपिक के पद पर पाँच वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)। (संयुक्त पद्धति) दोनों के विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स (रु.35,400-1,12,400) के स्तर-6 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले आशुलिपिक श्रेणी-I **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव या सलाहकार (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाले) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

indiacode

			सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने विभाग या मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स (रु.35,400–1,12,400) के स्तर-6 या समकक्ष में, आशुलिपिक श्रेणी में नियमित आधार पर	

			पाँच वर्ष की सेवा की हो; और **टिप्पण 1:** उन व्यक्तियों के लिए जो संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इन नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. ज्येष्ठ तकनीकी पर्यवेक्षक	09* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 44,900-1,42,400) में स्तर-7	चयन	30 वर्ष तक। **टिप्पण1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। **टिप्पण2:** आयु-सीमा निर्धारित करने हेतु निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी और न कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिला व चम्बा जिले के उप-मंडल पांगी और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडामान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहने वालों के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख।	संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ इंस्ट्रूमैन्टेशन या इलैक्ट्रॉनिकी या इलैक्ट्रीकल या मैकेनिकल इंजीनियरी में डिग्री धारक हो। **टिप्पण:** केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जब भी कोई रिक्ति भरने का अवसर हो तो उस ट्रेड विशेष या अध्ययन-विषय का उल्लेख करे जिसमें इंजीनियरी की डिग्री अपेक्षित हो।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)। (संयुक्त पद्धति) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स (रु.35,400-1,12,400) के स्तर-6 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाला तकनीकी पर्यवेक्षक। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव या सलाहकार (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

IndiaCode

			विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने विभाग या मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स (रु.35,400–1,12,400) के स्तर-6 या	

IndiaCode

			समकक्ष में, उस पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) इंस्ट्रुमैन्टेशन या इलैक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा धारक हो। **टिप्पण 1:** उन व्यक्तियों के लिए जो संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इन नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी	

IndiaCode

			अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. अनुभाग अधिकारी	10* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 44,900-1,42,400) में स्तर-7	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

IndiaCode

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति के द्वारा जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स (रु.35,400-1,12,400) के स्तर-6 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव या सलाहकार (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाले) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

			परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने विभाग या मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स (रु.35,400–1,12,400) के स्तर-6 या समकक्ष में, उस पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री धारक हो। **टिप्पण 1:** उन व्यक्तियों के लिए जो संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इन नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष	

			से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. प्रारुपण पर्यवेक्षक	01* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु.35400-112400) में स्तर-6	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति (संयुक्त पद्धति)।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स (रु.35,400-1,12,400) के स्तर-6 में दो वर्ष की नियमित सेवा वाला ज्येष्ठ प्रारुपकार। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने विभाग या मूल	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक या उप सचिव (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

			काडर में वेतन मैट्रिक्स (रु.29,200–92,300) के स्तर-5 या समकक्ष में, उस पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) सिविल इंजीनियरी में ड्राफ्टमैनशिप का दो वर्ष का डिप्लोमा धारक हो। **टिप्पण 1:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सांतवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तंत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 2:** उन व्यक्तियों के लिए जो संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी। **टिप्पण 3:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 4:** इस या अन्य संगठन या केन्द्रीय सरकार के विभाग या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या केन्द्रीय या राज्य के स्वायत्त या कानूनी निकायों में ठीक इस नियुक्ति पर जाने से पूर्व धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 5:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

			टिप्पण 6: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से, 1 जनवरी, 2016 (वह तारीख जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया है) से पूर्व एक अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तदनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा, सिवाय जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान एक साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में आमेलित कर दिए गए हैं और जहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों को प्रदान किया जाएगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। **टिप्पण 7:** जब भी वर्तमान पदधारी पद को रिक्त करेगा और पोषक श्रेणी में कोई पदधारी उपलब्ध नहीं रहेगा तो प्रारुपण पर्यवेक्षक का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक	59* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु.35400-112400) में स्तर-6	चयन	तीस वर्ष तक। **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी और न कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिला व चम्बा जिले के उप-मंडल पांगी और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडामान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहने वालों के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख।	संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष के अनुभव के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में मास्टर की डिग्री का धारक हो। किसी प्रख्यात संगठन या संस्थान में प्रदूषण नियंत्रण और संबंधित विषय वाले व्यक्तियों को अधिमानता प्रदान की जाएगी।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
आयु: नहीं शैक्षणिक अर्हता: विज्ञान में डिग्री	दो वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)	पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स (रु.25,500-81,100) में स्तर-4 में दस वर्ष की नियमित सेवा वाला ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी :	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक या उप सचिव (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

			(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने विभाग या मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स (रु.29,200–92,300) के स्तर-5 या समकक्ष में, उस पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखता हो। **टिप्पण 1**: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सांतवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तंत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 2:** उन व्यक्तियों के लिए जो	

			संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी। **टिप्पण 3:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इन नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 5:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण6:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से, 1 जनवरी, 2016 (वह तारीख जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया है) से पूर्व एक अधिकारी द्वारा	

			नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तदनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा, सिवाय जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान एक साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में आमेलित कर दिए गए हैं और जहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों को प्रदान किया जाएगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. ज्येष्ठ अनुवादक	01 * (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु.35400-112400) में स्तर-6	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति (संयुक्त पद्धति)।	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने विभाग या मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स (रु.29,200–92,300) के स्तर-5 या समकक्ष में, उस पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक या उप सचिव (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाले) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

IndiaCode

			आधार पर छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित अर्हता रखने वाले जो: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर की डिग्री; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर की डिग्री; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में और हिंदी व अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में, हिंदी माध्यम से मास्टर की डिग्री; या (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में और हिंदी व अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में, अंग्रेजी माध्यम से मास्टर की डिग्री; या (v) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो और साथ में हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी अन्य विषय में मास्टर की डिग्री; और	

			(vi) भारत सरकार के उपक्रम सहित, केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी कार्यालय में अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव अथवा हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स। **टिप्पण 1**: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से, 1 जनवरी, 2016 या जिस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे को लागू किया गया है, उससे पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तदनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। **टिप्पण 2:** उन व्यक्तियों के लिए जो संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी। **टिप्पण 3:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इन नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 5:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

			टिप्पण 6: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से, 1 जनवरी, 2016 (वह तारीख जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया है) से पूर्व एक अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तदनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा, सिवाय जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान एक साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में आमेलित कर दिए गए हैं और जहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों को प्रदान किया जाएगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है। **प्रोन्नति**: श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके विभागीय कनिष्ठ अनुवादक पर भी विचार किया जाएगा और यदि उसका चयन इस पद पर नियुक्ति के लिए हो जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया पद माना जाएगा। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. तकनीकी पर्यवेक्षक	17* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु.35400-112400) में स्तर-6	चयन	30 वर्ष तक। **टिप्पण:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। **टिप्पण:** आयु-सीमा तय करने हेतु निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी और न कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिला व चम्बा जिले के उप-मंडल पांगी और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडामान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहने वालों के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख।	संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ इंस्ट्रूमैन्टेशन या इलैक्ट्रॉनिकी या इलैक्ट्रीकल या मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरी में डिग्री हो। **टिप्पण:** केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जब भी कोई रिक्ति भरने का अवसर हो तो उस ट्रेड विशेष या अध्ययन-विषय का उल्लेख करे जिसमें इंजीनियरी की डिग्री अपेक्षित हो।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
आयु: लागू नहीं शैक्षणिक अर्हता: हाँ	दो वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा; और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति:** श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा वाले और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के दो वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र रखने वाले कनिष्ठ तकनीकी। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक या उप सचिव (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाले) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) –

			उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने विभाग या मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स (रु.29,200–92,300) के स्तर-5 या समकक्ष में, उस पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) संगत विषय-क्षेत्र में इंजीनियरी की डिग्री का धारक हो और प्रयोगशाला उपकरणों या औजारों की रखरखाव संबंधी मरम्मत में पाँच वर्ष से अनधिक का अनुभव रखता हो। **टिप्पण:** केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जब भी कोई रिक्ति भरने का अवसर हो तो उस ट्रेड विशेष या अध्ययन-विषय का उल्लेख करे जिसमें इंजीनियरी की एक डिप्लोमा अपेक्षित हो। **टिप्पणी 1:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से, 1 जनवरी, 2016 या जिस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की	**सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

IndiaCode

			सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे को लागू किया गया है, उससे पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तदनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। **टिप्पण 2:** उन व्यक्तियों के लिए जो संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी। **टिप्पण 3:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इन नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 5:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 6:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन से, 1 जनवरी, 2016 (वह तारीख जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया है) से पूर्व एक अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तदनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा, सिवाय जहां एक से	

			अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान एक साझा ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में आमेलित कर दिए गए हैं और जहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों को प्रदान किया जाएगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. सहायक	17* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु.35400-112400) में स्तर-6	चयन	30 वर्ष तक। **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा निर्धारित करने हेतु निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी और न कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिला व चम्बा जिले के उप-मंडल पांगी और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडामान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहने वालों के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख।	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री। (ख) 35 शब्द प्रति मिनट (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाव के साथ 10500 कुंजी दबाव प्रति घंटा) की दर से अंग्रेजी टंकण/30 शब्द प्रति मिनट (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबावों के साथ 9000 कुंजी दबाव प्रति घंटा) की दर से कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षा पास करनी होगी।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं	दो वर्ष	पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। पच्चीस प्रतिशत एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स (रु.25,500-81,100) में स्तर-4 में 10 वर्ष की नियमित सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन से, 1 जनवरी, 2016 या जिस तारीख से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे को लागू किया गया है, उससे पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तदनुरूपी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा। **टिप्पण 3:** उन व्यक्तियों के लिए जो पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी।	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक या उप सचिव (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाले) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. लेखा सहायक	8* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु.35400-112400) में स्तर-6	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष तक। **टिप्पण1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिला व चम्बा जिले के खंड पांगी और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडामान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है।	**आवश्यक**: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री। (ii) किसी ख्यातिप्राप्त संगठन या संस्थान में लेखा, लेखा-परीक्षा, नकदी संभालने या कोई अन्य संबंधित कार्य में तीन वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों प्रतिनियुक्ति के आधार पर जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है भरी जा सकेगी।	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक या उप सचिव (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाले) या उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

			(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु.25,500–81,100) या समतुल्य में, उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से वाणिज्य में स्नातक डिग्री धारक। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवदेन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित	

			वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनस्थिति ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18. कनिष्ठ अनुवादक	01 *(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु.35400-112400) में स्तर-6	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष तक। **टिप्पण:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान तथा निकोबार द्वीप और	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर की डिग्री; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर की डिग्री; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में और हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में, हिंदी माध्यम से मास्टर की डिग्री; या (iv) किसी मान्यताप्राप्त

					लक्षद्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के अभ्यर्थियों के लए विहित की गई है)।	विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में और हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में, अंग्रेजी माध्यम से मास्टर की डिग्री; या (v) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो और साथ में हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर की डिग्री; और (vi) भारत सरकार के उपक्रम सहित ,केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव या हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

IndiaCode

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों प्रतिनियुक्ति के आधार पर जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है भरी जा सकेगी।	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, स्वाशासी या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक या उप सचिव (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

			वेतन मैट्रिक्स (रु.25,500–81,100) के स्तर-4 या समतुल्य में, नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवदेन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनस्थिति ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर	

			विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. आशुलिपिक श्रेणी-I	01*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु.35400-112400) में स्तर-6	चयन	तीस वर्ष तक। **टिप्पण1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्फीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लए विहित की गई है)।	(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक डिग्री या समतुल्य। (ख) कम्प्यूटर पर क्रमशः 120 शब्द प्रति मिनट और 40 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति पर अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी; या (ग) कम्प्यूटर पर क्रमशः 120 शब्द प्रति मिनट और 35 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति पर हिंदी आशुलिपि और टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करनी। (घ) सरकारी या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वाशासी निकाय या ख्यातिप्राप्त निजी फर्म में आशुलिपिक के पद पर तीन वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) दोनों के विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति:** स्तर-4 में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-II जिन्होंने 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएघा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई, ऐसी आर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, स्वाशासी या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु.25,500–81,100) या समतुल्य में, नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो;	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक या उप सचिव (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाले) या उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

			और (ख) जो स्तम्भ (7)(क) और (ख) या (ग) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण** 1: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित विस्तारित तंत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गयी सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 2:** उन व्यक्तियों के लिए जो पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी। **टिप्पण 3:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवदेन प्राप्त करने	

IndiaCode

			की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 5:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनस्थिति ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. प्रकाशन सहायक	01* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु.35400-112400) में स्तर-6	लागू नहीं होता	30 वर्ष तक। **टिप्पण:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्फीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान तथा निकोबार द्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और	**आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक डिग्री। (ii) किसी ख्यातिप्राप्त संगठन या संस्थान में प्रकाशनों की छपाई सहित उत्पादन, विक्रय और वितरण में तीन वर्ष का अनुभव। **वाँछनीय**: किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।

					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लए विहित की गई है)।	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)	प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघु अवधि की संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों स्वाशासी या कानूनी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29,200–92,300 रु.) या समतुल्य में, नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रु.25,500–81,100) या समतुल्य में, नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखता हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक या उप सचिव (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाले) या उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

			नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवदेन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनस्थिति ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. ज्येष्ठ पारुपकार	01* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) में स्तर-6	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष तक। **टिप्पण:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख	(i) सिविल इंजीनियरी में डिग्री; और (ii) किसी ख्यातिप्राप्त संगठन में इस क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।

					जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्फीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान तथा निकोबार द्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिय विहित की गई है)।	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों प्रतिनियुक्ति के आधार पर जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है भरी जा सकेगी।	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29,200–92,300 रु.) या समतुल्य में, नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500–81,100 रु.) या समतुल्य में, नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो; और	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक या उप सचिव (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अथवा उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

			(ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवदेन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनस्थिति ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22. डाटा प्रोसेसिंग सहायक	04(*2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) में स्तर-6	चयन	तीस वर्ष तक। **टिप्पण:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्फीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान तथा निकोबार द्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लए विहित की गई है)।	**आवश्यक:** कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक डिग्री या कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा के साथ किसी अन्य विषय-क्षेत्र में डिग्री। **वांछनीय:** इलैक्ट्रॉनिक आँकड़ा संसाधन या कम्प्यूटर अनुप्रयोग की प्रोग्रामिंग में अनुभव

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
आयु: नही। शैक्षिक अर्हताएं: जी हाँ	दो वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति:** स्तर-5 में ऐसे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्रेणी-I जिन्होंने छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई, ऐसी आर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक या उप सचिव (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) या उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;**

IndiaCode

			उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तंत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 3:** उन व्यक्तियों के लिए जो पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी।	4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23. चालक विशिष्ट श्रेणी	01(*2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ख', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु.) में स्तर-6	चयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** स्तर-5 में चालक श्रेणी-I जिन्होंने छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक या उप सचिव (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) या उसका नामनिर्देशिती – **सदस्य;** 3. बोर्ड के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित

			में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई, ऐसी आर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तंत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 3:** उन व्यक्तियों के लिए जो पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी।	किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड – **सदस्य।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्रेणी-I	02 *(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) में स्तर-5	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	**प्रोन्नति:** स्तर-4 में ऐसे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्रेणी-II जिन्होंने पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई, ऐसी आर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र शासनों, स्वाशासी या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अवर सचिव – **सदस्य;** 3. दो वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय बोर्ड (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), – **सदस्य।**

			वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500–81,100 रु.) या समतुल्य में, नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक डिग्री धारक। (ग) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण की गति उत्तीर्ण करनी होगी (अनुमत्य समय – 10 मिनट) **टिप्पण:** प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबावों के साथ 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के संगत 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट। **टिप्पण 1:** उन व्यक्तियों के लिए जो पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या	

			किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25. चालक श्रेणी-I	6* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) में स्तर-5	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** स्तर-4 में श्रेणी-II ऐसे चालक जिन्होंने पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। निम्नलिखित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन: (i) अंग्रेजी संख्याकों और अंको को पढ़ पाने में निश्चित रूप से सक्षम होना चाहिए; (ii) यातायात नियमों का अच्छा ज्ञान होना अत्यावश्यक है; (iii) पेट्रोल और डीजल इंजन की यंत्र-रचना की अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है तथा छोटी-मोटी चलती रहने	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अवर सचिव **– सदस्य;** 3. दो वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय बोर्ड (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) **– सदस्य;** 4. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), **– सदस्य।**

IndiaCode

			वाली मरम्मत करनी और दोष ढूंढने की योग्यता आनी आवश्यक है; और (iv) कार्बुरेटर, प्लग आदि को साफ करने में अवश्य ही सक्षम हो। **टिप्पण 1:** एक प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। **टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई, ऐसी आर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 3:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें	

			केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तंत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 4:** उन व्यक्तियों के लिए जो पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी।		

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.कनिष्ठ तकनीशियन	07*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग' अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु.25500-81100) में स्तर-4	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच. **टिप्पण:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्फीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान निकोबार द्वीप और और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से इंस्ट्रूमैन्टेशन या इलैक्ट्रॉनिकी या इलैक्ट्रीकल या मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरी में डिप्लोमा। (ख) किसी ख्यातिप्राप्त संगठन या संस्थान में प्रयोगशाला यंत्रों की सर्विसिंग में एक वर्ष का संगत अनुभव। **टिप्पण:** नियुक्ति प्राधिकारी जब भी कोई रिक्ति भरने का अवसर हो तो उस ट्रेड विशेष या अध्ययन-विषय का उल्लेख करे जिसकी इंजीनियरी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र या डिप्लोमा अपेक्षित हो।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों प्रतिनि-युक्ति के आधार पर जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है भरी जा सकेगी।	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19,900–63,200 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखता हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अवर सचिव – **सदस्य;** 3. दो वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय बोर्ड (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), – **सदस्य।**

			द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवदेन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनस्थिति ग्रेड वेतन या वेतनमान साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27. ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक	29*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग' अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर-4	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा	संगत क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से विज्ञान में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण **वांछनीय:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विज्ञान में डिग्री।

					अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान निकोबार द्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष (सीधी भर्ती के लिए).	प्रोन्नति द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति:** कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19,900-63,200 रु.) में जिन्होने आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई, ऐसी आर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता अर्हक या	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अवर सचिव – **सदस्य;** 3. दो वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय बोर्ड (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), – **सदस्य।**

			पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तंत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 3:** उन व्यक्तियों के लिए जो पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी।	

LawCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28. चालक श्रेणी –II	04* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग' अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर-4	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्फीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान निकोबार द्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	आवश्यक (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास और (ख) हल्का या भारी वाहन चलाने के लिए एक विधिमान्य चालन लाइसेंस धारक: और (घ) यातायात विनियमों क अच्छा ज्ञान होना अत्यावश्यक है: और (ङ) छोटी मोटी चलती रहने वाली मरम्मत करनी और दोष ढूढने की योग्यता आनी आवश्यक है: और (च) पहिया बदलना और सही ढंग से पहियों में हवा भरना आवश्यक है; और (छ) हल्का या भारी मोटर वाहन चलाने का 3 वर्ष का अनुभव

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष (सीधी भर्ती के लिए).	प्रोन्नति द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति:** स्तर-2 में ऐसे चालक (साधारण श्रेणी), जिनहोने आठ वर्ष की नियमित सेवा के हो निम्नलिखित ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन: (क) अँग्रेजी संख्याकों और आंकड़ों को पढ़ पाने में निश्चित रूप से	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 5. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 6. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अवर सचिव – **सदस्य;** 7. दो वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय बोर्ड (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 8. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), – **सदस्य।**

			सक्षम होना चाहिए: और (ख) यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान होना अत्यावश्यक है: और (ग) छोटी मोटी चलती रहने वाली मरम्मत करनी और दोष ढूढने की योग्यता आनी आवश्यक है: और (घ) पहिया बदलना और सही ढंग से पहियों में हवा भरना आवश्यक है; और **टिप्पण 1:** एक प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी **टिप्पण 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई, ऐसी आर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी	

IndiaCode

			कर ली हो। **टिप्पण 3:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तंत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 4:** उन व्यक्तियों के लिए जो पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29. आशुलिपिक श्रेणी-II	03* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग' अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर-4	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित	**आवश्यक:** (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। (ख) कौशल परीक्षण प्रतिमानक: श्रुतलेखन: 10 मिनट 80 शब्द प्रति मिनट की दर से लिप्यंतरण: कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) या कम्प्यूटर पर 65 मिनट (हिंदी)। **टिप्पण 1:** बोर्ड के पास विवेकाधिकार रहेगा कि यह आवश्यकता के हिसाब से, रिक्ति भरे जाने के प्रत्येक अवसर पर, अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण या हिंदी

IndiaCode

					करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्फीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान निकोबार द्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लए विहित की गई है)।	आशुलिपि और टंकण में परीक्षा उत्तीर्ण करने या अभ्यर्थियों को दोनों में से किसी एक में अर्हता प्राप्त करने का विकल्प दे सकेगा। जहाँ अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी आशुलिपि या टंकण में अर्हता प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा वहाँ बोर्ड को यथापेक्षित संख्या में अंग्रेजी या हिंदी आशुलिपि और टंकण जानने वाले अर्हक अभ्यर्थियों का चयन करने का विवेकाधिकार रहेगा। **टिप्पण 2:** जहाँ कोई अभ्यर्थीयों अंग्रेजी और हिंदी दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण होता है वहाँ उसे केवल एक भाषा में समान अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थि की अभ्यार्थी की तुलना में चयन में अधिमानता दी जाएगी।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों प्रतिनियुक्ति के आधार पर जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है भरी जा सकेगी।	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अवर सचिव – **सदस्य;** 3. दो वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय बोर्ड (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), – **सदस्य।**

			ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30. प्रवर श्रेणी लिपिक	24*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग' अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर-4	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच **टिप्पण:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,	30. प्रवर श्रेणी लिपिक

IndiaCode

					त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्फीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान निकोबार द्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लए विहित की गई है)।	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
आयु: नहीं शै..अ.:नहीं	दो वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति:** स्तर-2 में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई, ऐसी आर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी,	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अवर सचिव– **सदस्य;** 3. दो वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय बोर्ड (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), – **सदस्य।**

IndiaCode

			2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तंत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 3:** उन व्यक्तियों के लिए जो पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर श्रेणी-II	06* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग' अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर-4	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्फीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान निकोबार द्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लए विहित की गई है)।	**आवश्यक:** (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (ख) कम्प्यूटर पर गति परीक्षा के माध्यम से डाटा एन्ट्री कार्य के लिए प्रति घंटा 8000 से अनधिक कुंजी दबावों की एक गति परीक्षा ली जाएगी।

IndiaCode

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों प्रतिनियुक्ति के आधार पर जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है भरी जा सकेगी।	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21,700–69,100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर, उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19,900–63,200 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखता हो और परीक्षा। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाले) अवर सचिव – **सदस्य;** 3. दो वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय बोर्ड (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), – **सदस्य।**

			अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को "छप्पन वर्ष से अधिक नहीं" होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32. चालक (साधारण श्रेणी)	08* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	समूह 'ग', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर-2	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच **टिप्पण1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्फीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान तथा निकोबार द्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लए विहित की गई है)।	**आवश्यक**: (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ख) हल्का या भारी वाहन चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारक हो। (ग) मोटर की यंत्र-रचना का ज्ञान रखता हो (अभ्यार्थी वाहनों में छोटी-मोटी कमियों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए); और (घ) हल्का या भारी वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव; **वांछनीय:** होम गार्ड या सिविल स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **टिप्पण:** चयन के लिए एक चालन परीक्षा ली जाएगी।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष (सीधी भर्ती या पुनःनियोजित के लिए)	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अवर सचिव – **सदस्य;** 3. दो वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय बोर्ड (अध्यक्ष द्वारा

				नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), – **सदस्य।**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33. कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	31*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	समूह 'ग', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर-2	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्फीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान तथा निकोबार द्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	**आवश्यक**: मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। **वांछनीय**: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विज्ञान में डिग्री

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
आयु: नहीं शैक्षिक **अर्हताः** हाँ	दो वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)	बीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति:** स्तर-1 में ऐसे क्षेत्रिय परिचर जिन्होंने तीन वर्षों की सेवा वाले जिसके न हो सकने पर ऐसा मल्टी टास्किंग स्टाफ श्रेणी-1 जिन्होने तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अवर सचिव – **सदस्य;** 3. दो वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय बोर्ड (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), – **सदस्य।**

			की गई, ऐसी आर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तंत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 3:** उन व्यक्तियों के लिए जो पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34. अवर श्रेणी लिपिक	20*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	समूह 'ग', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर-2	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा	**आवश्यक:** (क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता। (ख) कम्प्यूटर पर हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट या अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण की गति। *अनुज्ञात समय दस मिनट*

					सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्फीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख तथा निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लए विहित की गई है)।	**टिप्पण:** प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबावों के साथ 10500 केडीपीएच या 9000 केडीपीएच के क्रमशः 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता (7)(क) और (ख): हाँ.	दो वर्ष (सीधी भर्ती के लिए)	(i) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पचासी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ii) दस प्रतिशत रिक्तियाँ विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उन मल्टी टास्किंग स्टाफ श्रेणी-I में स्तर-2 या मल्टी टास्किंग स्टाफ स्तर-1 के मध्य से भरी जाएंगी जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य रखते है और उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं। **टिप्पण:** यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में ऐसे कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो ऐसे अतिरिक्त संख्या वाले कर्मचारियों पर आगामी वर्षों में उभरने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा	स्तम्भ (10) में विहित किए गए अनुसार। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएघा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई, ऐसी आर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अवर सचिव – **सदस्य;** 3. दो वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय बोर्ड (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), – **सदस्य।**

		ताकि बाद वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों से पहले पूर्ववर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों पर विचार किया जा सके। (iii) पाँच प्रतिशत रिक्तियों को उन समूह 'ग' कर्मचारियों में से ज्येष्ठ-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरा जाएगा जो स्तर-1 में पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं।	न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तंत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 3:** उन व्यक्तियों के लिए जो पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35. मल्टी टास्किंग स्टाफ (श्रेणी-I)	16*(2021) • कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर-2	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** स्तर-1 में ऐसे मल्टी टास्किंग स्टाफ। जिन्होने तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई, ऐसी आर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,	**विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अवर सचिव – **सदस्य;** 3. दो वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय बोर्ड (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), –

			इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तंत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 3:** उन व्यक्तियों के लिए जो पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, पात्रता सेवा वही बनी रहेगी।	**सदस्य।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36. क्षेत्रीय परिचर	07* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	समूह 'ग', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में स्तर-1	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:** केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश	**आवश्यक**: किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। **वांछनीय**: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण। (ii) तगड़ी सेहत और तैरने की योग्यता।

					के लाहोल और स्फीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान तथा निकोबार द्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लए विहित की गई है)।	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अवर सचिव – **सदस्य;** 3. दो वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय बोर्ड (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), – **सदस्य।**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37. मल्टी टास्किंग स्टाफ	22* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।	समूह 'ग', अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु.18000-56900) में स्तर-1	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्फीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड-अंदमान तथा निकोबार द्वीप और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लए विहित की गई है)। **टिप्पण:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं उत्तीर्ण। **या** **(*)** सुसंगत ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाणपत्र. *(*) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्ति को भरने के प्रत्येक अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विशेष ट्रेड या विषय-क्षेत्र का उल्लेख करेगा जिसका प्रमाणपत्र आवश्यक हो।*

					निर्णायक तारीख वह होगी जिस अंतिम तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने करने के लिए कहा गया है।	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:** 1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड - **अध्यक्ष;** 2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में (बोर्ड की स्थापना का कार्य देखने वाला) अवर सचिव – **सदस्य;** 3. दो वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय बोर्ड (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे) – **सदस्य;** 4. प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक), **– सदस्य।**

IndiaCode

तन्मय कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./445/2021-22]

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2021

F. No. AD-11023/2/2021-ADMIN-R-HO-CPCB-HO.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), and in supersession of the Central Pollution Control Board (Method of Recruitment, Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees other than Member Secretary) Regulations, 1995, and the Central Pollution Control Board (Method of Recruitment, Terms and Conditions of Services of Data Processing Assistant) Regulations, 2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Pollution Control Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These regulations may be called the Central Pollution Control Board (Method of Recruitment, Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees other than Member-Secretary) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**. - In these regulations, unless the context otherwise requires;

(a) "Board" means the Central Pollution Control Board established under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

(b) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(c) "Member- Secretary" means the Member - Secretary of the Board;

(d) "employee" means any officer or servant appointed as a staff of the Board as shown in column (2) of Schedule-I;

(e) "post" means a post in Group 'A', Group 'B' or Group 'C' *(including the erstwhile posts re-designated as MTS)* according as such post is specified in Group 'A', Group 'B' or Group 'C', as the case may be, in column (3) of Schedule-II;

(f) "Schedule" means a Schedule appended to these regulations.

3. **Provisions with respect to existing employees.** - All persons who are employees of the Board at the commencement of these regulations shall be deemed to have been appointed to the corresponding posts specified in Schedule-I.

4. **Officers and other employees of the Board.** – The nature and categories of officers and other employees of the Board and the level in pay matrix thereof shall be as specified in Schedule-I.

5. **Number, classification, level in the pay matrix, method of recruitment, age-limit and other qualifications.** – The name of the posts, their number, classification and level in the pay matrix, method of recruitment, age-limits, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (1) to (12) of Schedule-II.

6. **Pay, allowances, leave and other conditions of service of officers and other employees. - (1)** The level in the pay matrix of employees of the Board shall be as specified in column (3) of Schedule-I.

(2) The rules and orders for the time being in force and amendment from time to time as applicable to the officers and other employees, holding posts of corresponding Level in the pay matrix under the Central Government, shall regulate the conditions of service in respect of allowance, leave, joining time, joining time pay, provident fund, gratuity, age of superannuation, retirement benefits, medical facilities and other conditions of service of the employees of the Board *including scientists and engineers covered under Flexible Complementing Scheme at par with the Central Government employees i.e. "the Scientific and Technical Group 'A' posts in Central Pollution Control Board Regulations, 2009" as amended by "the Scientific and Technical group 'A' posts in Central Pollution Control Board (Amendment) Regulations, 2011".*

7. **Appointing authority.** – (1) All appointments to Group 'A' and Group 'B' posts shall be made by the Chairman:

Provided that with respect to post falling under level-13 or above in the pay matrix, no appointment shall be made by the Chairman without the prior approval of the Central Government.

(2) All appointments to Group 'C' *(including the erstwhile posts re-designated as MTS)* shall be made by the Member Secretary.

8. **Saving.** – Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex- servicemen, other backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

9. **Power to relax.** – Where the Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with the Central Government, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any other provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

10. **Matters, with respect to which no provision has been made.** – Matters relating to the conditions of service of officers and other employees, with respect to which no provision has been made in these regulations, shall be referred to the Central Government for its decision.

11. **Miscellaneous. -** In all cases of direct recruitment, a training of at least two weeks duration will be pre-requisite for completion of probation by all the employees and the syllabus for the training shall be prescribed and decided by the Competent Authority.

SCHEDULE- I

Posts in the Central Pollution Control Board and level in the pay matrix

[see Regulations 2(d), 3, 4 and 6]

Sl. No.	Name of the post	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)
1.	Senior Law Officer	Level- 12 (Rs.78800-209200)
2.	Senior Administrative Officer	Level-12 (Rs.78800-209200)
3.	Administrative Officer	Level-11 (Rs.67700-208700)
4.	Law Officer	Level-11 (Rs.67700-208700)
5.	Accounts Officer	Level-7 (Rs.44900-142400)
6.	Assistant Accounts Officer	Level-7 (Rs.44900-142400)
7.	Assistant Law Officer	Level-7 (Rs.44900-142400)
8.	Assistant Director (OL)	Level-7 (Rs.44900-142400)
9.	Private Secretary	Level-7 (Rs.44900-142400)
10.	Senior Technical Supervisor	Level-7 (Rs.44900-142400)
11.	Section Officer	Level-7 (Rs.44900-142400)
12.	Draughting Supervisor	Level-6 (Rs.35400 - 112400)
13.	Senior Scientific Assistant	Level-6 (Rs.35400 - 112400)
14.	Senior Translator	Level-6 (Rs.35400 - 112400)
15.	Technical Supervisor	Level-6 (Rs.35400 - 112400)
16.	Assistant	Level-6 (Rs.35400 - 112400)
17.	Accounts Assistant	Level-6 (Rs.35400 - 112400)
18.	Junior Translator	Level-6 (Rs.35400 - 112400)
19.	Stenographer Grade-I	Level-6 (Rs.35400 - 112400)
20.	Publication Assistant	Level-6 (Rs.35400 - 112400)
21.	Senior Draughtsman	Level-6 (Rs.35400 - 112400)
22.	Data Processing Assistant	Level-6 (Rs.35400 - 112400)
23.	Driver Special Grade	Level-6 (Rs.35400 - 112400)
24.	Data Entry Operator Grade-I	Level-5 (Rs.29200 -92300)
25.	Driver Grade-I	Level-5 (Rs.29200 -92300)
26.	Junior Technician	Level-4 (Rs.25500 -81100)
27.	Senior Laboratory Assistant	Level-4 (Rs.25500 -81100)
28.	Driver Grade-II	Level-4 (Rs.25500 -81100)
29.	Stenographer Grade-II	Level-4 (Rs.25500 -81100)
30.	Upper Division Clerk	Level-4 (Rs.25500 -81100)
31.	Data Entry Operator Grade-II	Level-4 (Rs.25500 -81100)
32.	Driver (Ordinary Grade)	Level-2 (Rs.19900 -63200)
33.	Junior Laboratory Assistant	Level-2 (Rs.19900 -63200)

IndiaCode

34.	Lower Division Clerk	Level-2 (Rs.19900 -63200)
35.	Multi-Tasking Staff Grade-I	Level-2 (Rs.19900 -63200)
36.	Field Attendant	Level-1 (Rs.18000 -56900)
37.	Multi-Tasking Staff	Level-1 (Rs.18000 -56900)

SCHEDUE-II
[see regulations 2(e) and 5]

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1. Senior Law Officer.	1* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation is to be made.**	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short term contract).	**Promotion:** Law Officer with five years of regular service in level-11 in the pay matrix (Rs.67,700-2,08,700). **Note:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government, State	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 5. Chairman, Central Board- **Chairman;** 6. Joint Secretary or Advisor in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee - **Member;** 7. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 8. Member Secretary, Central Board – **Member.**

IndiaCode

			Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organizations, Public Sector Undertakings, University or Recognized Research Institution - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department, or (ii) with five years of service in the grade render after appointment thereto on a regular basis in level-11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. (b) Possessing the following qualifications and experience: (i) Bachelor's Degree in Law from a recognized university or institute, and (ii) should be a qualified legal practitioner as per the Advocates Act, 1961, who has not less than eight years experience, out of which five years should be in High Court or Supreme Court in handling environmental litigation cases. or (iii) persons having not less than eight years experience in rendering legal advice, preferably in matters relating to environmental pollution in a supervisory level. **Note 1:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the	

Indiacode

			revised rules. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 4:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Senior Administrative Officer.	01 * (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short term contract).	**Promotion:** Administrative Officer with five years of regular service in level 11 in the pay matrix (Rs.67,700-2,08,700). **Note:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Chairman, Central Board- **Chairman;** 2. Joint Secretary or Advisor in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee - **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman)- **Members;** 4. Member Secretary, Central Board –

			grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including Short Term Contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution – (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of regular service in the grade render after appointment thereto in level-11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department, and (b) possessing a Bachelor's degree in any discipline from a recognised university or institute; and (c) having ten years experience in a supervisory capacity in Administration or Accounts or Establishment. **Desirable:** Post graduation diploma in Personnel Management or Master of Business Administration with specialisation in Personnel Management. **Note 1:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State	**Member.**

India.com

		Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 4:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Administrative Officer.	07* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67,700-2,08,700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two Year.	By promotion failing which by deputation (including short term contract).	**Promotion:** Section Officers, Accounts Officer and Private Secretaries with seven years of regular service in Level-7 in the pay matrix (Rs.44,900-1,42,400). **Note:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note: *Fifty percent of the vacancies shall be filled from the grade of Section Officers, twenty five percent of vacancies from the Accounts Officer and twenty five percent of vacancies from the*	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:** 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Joint Secretary or Advisor in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee - **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman)- **Members;** 4. Member Secretary, Central Board- **Member.**

Indian Code

			grade of Private Secretary. In case of non-eligible candidates in either of the grade the post shall be filled from the grade where the eligible candidate is available. **Note 1:** The inter-se seniority of Section Officers, Accounts Officer and the Private Secretary will be as per date of regular appointment in the respective grade. **Note 2:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 3:** While calculating the qualifying service for consideration for promotion to the grade of Administrative Officer, total regular service in level-7 will be taken into account.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Law Officer.	*02 (2021) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67,700-2,08,700).	Selection.	Up to 40 years. **Note1:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential:** (vi) Bachelor's degree in Law from a recognised University or Institution; and (vii) Should have seven years experience as an officer of the State Judicial Service; or (viii) Should be Central Government servant, who has seven year's experience in legal affairs; or (ix) Should have seven years experience in the legal Department of a State; or (x) should be a qualified legal practitioner, who has practised as such for seven years. **Note:** The advocacy period shall be computed with legal advice period for required experience of seven years.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	One year.	By promotion failing which by deputation (including short term contract) and failing both by direct recruitment.	**Promotion:** Assistant Law Officers with seven years regular service in level-7. **Note:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract)**: Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years of regular service in the grade render after appointment thereto in level-10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre of Department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7). **Note 1:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in direct	**Selection Committee:** 5. Chairman, Central Board- **Chairman;** 6. Joint Secretary or Advisor in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee - **Member;** 7. Two experts to be nominated by the Chairman - **Members;** 8. Member Secretary, Central Board – **Member.** **Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:** 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Joint Secretary or Advisor in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee - **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Member Secretary, Central Board – **Member.**

India Code

			line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 4:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Accounts Officer.	02* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short term contract).	**Promotion:** Assistant Accounts Officer with two years of regular service in level-7 in the pay matrix (Rs.44,900-1,42,400). **Note:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract)**:	**Department Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Director or Deputy Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee – **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) - **Members;** 4. Member Secretary, Central Board - **Member.**

			Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years of service in grade render after appointment thereto on a regular basis in level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre of Department; and (b) possessing the following qualifications and experience: Bachelor's Degree in Commerce from a recognised University or institution with five years experience in a supervisory level or Subordinate Audit /Account Services Examination Accounts with five years experience in accounts, audit and financial management. **Note 1:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years.	

IndiaCode

			Note 4: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Assistant Accounts Officer.	5* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection.	Up to thirty years. **Note 1:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential**: Bachelor's degree in Commerce from a recognised University or Institute with five years experience in a supervisory level or a Subordinate Audit /Account Services Examination accountant with five years experience in accounts, audit and related financial works in an organisation or institution of repute. **Desirable**: Associated Member of Chartered Accounts of India or Institution of Costs and Works Accounts. **Note:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Chairman, Central Pollution Control Board, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Chairman, Central Pollution Control Board is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years (For direct recruitment).	Eighty percent by promotion failing which by transfer on deputation (including short term contract). Twenty percent by direct	**Promotion:** Account Assistant with five years regular service in level-6 in the pay matrix (Rs.35,400-1,12,400). **Note:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:** 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Joint Secretary or Advisor in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his

		recruitment.	requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years of regular service in the grade render after appointment thereto in level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7). **Note 1:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 4:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	nominee – **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Member Secretary, Central Board - **Member.**

India Code

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Assistant Law Officer.	02* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900 -142400).	Not applicable.	Up to thirty years. **Note:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential**: (i) Bachelor's degree in Law from a recognised University or Institution; and (ii) Should have five years experience as an Officer of the State Judicial Service; or (iii) Should have five years experience in the legal Department of a State; or (iv) Should be a Central Government servant, who has five years experience in legal affairs; or (v) Should be a qualified legal practitioner, who has practised as such for five years. **Note:** The advocacy period shall be computed with legal advice period for required experience of five years. **For direct recruitment:** **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Chairman, Central Pollution Control Board, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) and experience is relaxable at the discretion of the Chairman, Central Pollution Control Board, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Chairman, Central Pollution Control Board is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years (for direct recruits).	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation (including short term contract) basis.	**Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years of regular service in the grade render after appointment thereto in level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:** 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Joint Secretary or Advisor in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee - **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) - **Members;** 4. Member Secretary, Central Board – **Member.**

			(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7) **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Assistant Director (OL).	01* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short term contract)/promotion. (Composite Method)	**Deputation (including short term contract) :** 1. Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertaking's, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years of regular service in the grade render after appointment thereto in level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the following qualifications and experience: **Essential qualification:** (g) master's degree from a recognised University in	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Chairman, Central Board – **Chairman;** 2. Joint Secretary or Advisor in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee - **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Member Secretary, Central Board – **Member.**

			Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (h) master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (i) master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (j) master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; or (k) master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and (c)(i) Three years' experience using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertaking's or Universities; or recognised research or educational institutions; or (ii) three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organisations or Public Sector Undertaking's	

IndiaCode

			or Universities or recognised research or educational institutions. **Note 1:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications. **Promotion:** (d). The departmental Senior Translator with five years of regular service in the grade will also be considered and in case he/she is selected for appointment to the post, the same will be deemed to have been filled by promotion. **Note :** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Private Secretary.	20* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection.	Up to thirty years. **Note:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt	(ग)A Bachelor's Degree from a recognised University or Institute or equivalent qualification (घ)(i) Passing of test in English shorthand and typing on computer at a minimum speed of 120 wpm and 40 wpm respectively; or (ii) Passing of test in

					of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Hindi shorthand and typing on computer at a minimum speed of 120 wpm and 35 wpm respectively. (c) With five years of experience as stenographer in Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Body.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years for direct recruit.	By deputation (including short term contract)/ Promotion (Composite method) failing which by direct recruitment.	**Promotion:** Stenographers Grade-I with five years of regular service in level-6 in the pay matrix (Rs.35,400-1,12,400). **Note:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertaking's, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the Stenographers grade in level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department. **Note 1:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for promotion and confirmation) consisting of:** 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Joint Secretary or Advisor in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee - **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) - **Members;** 4. Member Secretary, Central Board - **Member.**

			deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 4:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Senior Technical Supervisor.	09* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection.	Up to thirty years. **Note 1**: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Possessing a degree in Instrumentation or Electronics or Electrical or Mechanical Engineering with three years of experience in the relevant field. **Note:** The Central Pollution Control Board may indicate the particular trade or discipline in which a Degree in Engineering is required on each occasion a vacancy is filled.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years For direct recruitment.	By promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.	**Promotion:** Technical Supervisor with five years of regular service in level-6 in the pay matrix (Rs.35,400-Rs.1,12,400). **Note:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:** 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Joint Secretary or Advisor in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee - **Member;** 3. Two Members of the Board (to be

			qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertaking's, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii)with five years of regular service in the grade render after appointment thereto in level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing a diploma in Instrumentation or Electronics or Electrical or Mechanical Engineering. **Note 1:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 4:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Member Secretary, Central Board - **Member.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. Section Officer.	10* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short term contract).	**Promotion:** Assistants with five years of regular service in the level-6 in the pay matrix (Rs.35,400-1,12,400). **Note:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years of regular service in the grade render after appointment thereto in level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing a Bachelor's degree from a recognised University or Institution. **Note 1:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Joint Secretary or Advisor in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee – **Member;** 3. Two members of the Board (to be nominated by the Chairman) - **Members;** 4. Member Secretary, Central Board – **Member.**

IndiaCode

			shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 4:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. Draughting Supervisor.	01* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable	Not applicable	By deputation (including short term contract)/ Promotion (Composite method).	**Promotion:** Senior Draughtsman with two years regular service in level-6 in the pay matrix (Rs.35,400-1,12,400). **Note:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years of regular service in the grade render after appointment thereto in level-5 (Rs.29,200-92,300)	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Director or Deputy Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee – **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Member Secretary, Central Board – **Member.**

			in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing two years diploma of draftsmanship in Civil Engineering. **Note1**: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Commission. **Note 2**: The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 3:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 4**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 5:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications. **Note 6:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation. **Note 7:** The post of Draughting Supervisor will automatically get abolished as and when the present incumbent vacates the post and no incumbent is available in feeder grade.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. Senior Scientific Assistant.	59* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Up to thirty years. **Note1:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Possessing Master's degree in science from a recognised University or Institution with two years experience in relevant field. Preferably in pollution control and related subjects in any organisation or institution of repute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Age: No. Educational Qualification: Degree in Science.	Two years for direct Recruitment.	Fifty percent by Direct Recruitment. Fifty percent by promotion failing which by deputation (including short term contract) and failing both by direct recruitment.	**Promotion:** Senior Laboratory Assistant with ten years of regular service in level-4 in the pay matrix (Rs.25,500-81,100). **Note:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; **or** (ii) with six years of regular service in the grade render after appointment thereto in level-5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:** 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Director or Deputy Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee - **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Member Secretary, Central Board - **Member.**

			parent cadre or Department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7). **Note 1:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 2:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 3:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 4:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 5:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications. **Note 6:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. Senior Translator.	01 * (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short term contract)/ promotion (Composite method).	**Deputation (including short term contract):** 1. Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; **or** (ii) with six years of regular service in the grade render after appointment thereto in level-5 (Rs.29,200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the following qualification: (i) master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (ii) master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iii) master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of an examination at the degree level; or (iv) master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of an examination at the degree level; or (v) master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and (vi) recognised diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or three years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in a Central or State Government office, including Government of India Undertaking. **Note 1:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Director or Deputy Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee – **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) - **Members**; 4. Member Secretary, Central Board – **Member.**

			from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 2:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 3:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 4:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 5:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications. **Note 6**: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit shall extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation. **Promotion:** The departmental Junior Translator with two years regular service in the grade shall also be considered and in case he/ she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 1:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. Technical Supervisor.	17* (2021) * subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Up to thirty years. **Note:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, , Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Degree in Instrumentation or Electronics or Electrical or Mechanical or Automobile Engineering with three years experience in the relevant field. **Note:** The Chairman Central Board shall indicate the particular trade or discipline in which a Degree in Engineering is required on each occasion a vacancy is filled.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Age: Not applicable. Educational Qualificatio: Yes.	Two years.	Fifty percent by promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment; and Fifty percent by direct recruitment.	**Promotion:** Junior Technician with ten years regular service in the grade and possessing Industrial Training Institute certificate of two years course. **Note:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years of regular service in the grade render after appointment thereto in level-5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing a degree in engineering in the relevant discipline and having experience of not less than five years in	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:** 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Director or Deputy Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee – **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) - **Members**; 4. Member Secretary, Central Board- **Member.**

			maintenance repairs of laboratory equipment or instruments. **Note:** The Chairman Central Board shall indicate the particular trade or discipline in which a Diploma in Engineering is required on each occasion a vacancy is filled. **Note 1:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 2:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 3:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 4:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 5:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications. **Note 6:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. Assistant.	17* (2021) * Subject to	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-	Selection.	Up to thirty years. **Note:** Relaxable for Government servants up to five	(a) Bachelor's Degree from a recognised University or Institution. (b) Shall pass the skill test on computer in English Typing @ 35 words per minute

	variation dependent on workload.		112400).		years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(10500 KDPH on an average of 5 key depressions for each word)/Hindi Typing @ 30 words per minute (9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). Time allowed is ten minutes.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years.	Seventy five percent by promotion failing which by direct recruitment through a competitive examination. Twenty five percent by direct recruitment through a competitive examination.	**Promotion:** Upper Division Clerks with ten years of regular service in level-4 in the pay matrix (Rs.25,500-81,100). **Note 1:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Departmental Promotion Committee / Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :** 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Director or Deputy Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee – **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Member Secretary, Central Board - **Member.**

			Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 3:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. Accounts Assistant.	8* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Up to thirty years. **Note:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential**: (vi) Bachelor's degree in Commerce from a recognised University or Institution. (vii) With three years experience in accounts, audit, cash handling or any other related work in an organisation or institution of repute.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years.	By Direct Recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances	**Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation,	**Departmental Promotion Committee / Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:** 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Director or Deputy Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

		for a duration of one year or more may be filled on deputation basis including short term contract.	Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department, or (ii) with ten years of regular service in the grade render after appointment thereto in level-4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing a Bachelor's degree in commerce from a recognised University or Institution. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has	(dealing with establishment of Board) or his nominee - **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Member Secretary, Central Board – **Member.**

IndiaCode

			been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18. Junior Translator.	01 *(2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Up to thirty years. **Note:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(i) master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (ii) master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iii) master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iv) master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (v) master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and (vi) recognised diploma or certificate course in translation from Hindi to

Incode

						English and vice versa **or** two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government including Government of India Undertaking.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment through a competitive examination. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis including short term contract.	**Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with ten years of service in the grade render after appointment thereto a regular basis in level-4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the educational qualifications and other qualifications prescribed for direct recruits in column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of** : 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Director or Deputy Secretary (dealing with establishment of Board) or his nominee in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change - **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Member Secretary, Central Board – **Member.**

			(the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. Stenographer Grade-I.	01*(2021) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Up to thirty years. **Note 1:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(a) A Bachelor's Degree or equivalent from a recognised University or Institution. (b) Passing of test in English shorthand and typing on computer at a minimum speed of 120 wpm and 40 wpm respectively; or (c) Passing of test in Hindi shorthand and typing on computer at a minimum speed of 120 wpm and 35 wpm respectively. (d) With three years of experience as stenographer in Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Private Firm of repute.

IndiaCode

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years.	By Promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.	**Promotion:** Stenographer Grade-II with 10 year regular service in the level-4. **Note :** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With ten years of regular service in the grade after appointment thereto on a regular basis level-4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the educational qualifications and other qualifications prescribed for direct recruits in column 7(a) and (b) or (c). **Note 1:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 2:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 3:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 4:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of**: 1. Chairman, Central Board – **Chairman;** 2. Director or Deputy Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee – **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Member Secretary, Central Board – **Member.**

			ordinarily not exceed three years. **Note 5:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications. **Note 6:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. Publication Assistant.	01* (2021) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Up to thirty years. **Note:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential**: (i) A degree from a recognised University or Institution. (ii) with three years of experience in production, sales and distribution, including printing of publications in an organisation or institution of repute. **Desirable**: Diploma in printing technology from a recognised Institution.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	By Deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	**Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cade or Department; or (ii) with six years of service in the grade render after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years of service in the	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of** : 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Director or Deputy Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee - **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) **- Member;** 4. Member Secretary, Central Board - **Member.**

			grade render after appointment thereto on a regular basis in level-4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing qualification and experience as prescribed for direct recruits in column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. Senior Draughtsman.	01* (2021) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Up to thirty years. **Note:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,	(iii) Degree in Civil Engineering; and (iv) three years experience in the line in an organisation of repute.

					Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis including short term contract.	**Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years of service in the grade render after appointment thereto on a regular basis in level-5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years of service in the grade render after appointment thereto on regular basis in level-4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the qualifications as prescribed for direct recruits in column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:** 1. Chairman, Central Board - **Chairman;** 2. Director or Deputy Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) or his nominee – **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman) -**Members;** 4. Member Secretary, Central Board - **Member.**

			a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22. Data Processing Assistant.	04 (*2021) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Up to thirty years. **Note:** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential:** Bachelors Degree in Computer Application or Degree in any other discipline with Diploma in Computer Application. **Desirable:** Experience in Electronic Data Processing or Programming of Computer Application.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Age: No. Educational qualifications: Yes.	Two years.	Fifty percent by promotion; failing which by direct recruitment Fifty percent by direct recruitment	**Promotion:** Data Entry Operator Grade-I with six years regular service in level-5. **Note 1:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of**: 1. Chairman, Central Pollution Control Board – **Chairman;** 2. Director or Deputy Secretary (dealing with the Establishment of Board) or his nominee in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change - **Member;** 3. Two Members of the Board to be nominated by the Chairman, Central Pollution Control Board – **Member;**

			service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 3:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.	4. Member Secretary Central Pollution Control Board – **Member.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23. Driver Special Grade.	01(*2021) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years.	By promotion.	**Promotion:** Driver Grade-I with six years of regular service in level-5. **Note 1:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 3:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:** 1. Chairman, Central Pollution Control Board – **Chairman;** 2. Director or Deputy Secretary (dealing with the Establishment of Central Pollution Control Board) in Ministry of Environment, Forest and Climate Change - **Member;** 3. Two Members of the Board (to be nominated by the Chairman, Central Pollution Control Board) – **Member;** 4. Member Secretary, Central Pollution Control Board – **Member.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24. Data Entry Operator Grade-I.	02* (2021) *subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Non selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including	**Promotion:** Data Entry Operator Grade-II with five years regular service in the level-4. **Note:** Where the juniors who have	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1. Member Secretary, Central

		short-term contract).	completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years of service in the grade render after appointment thereto on a regular basis in level-4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing a graduate degree from a recognised University or Institution; and (c) Passing a typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (Time allowed – 10 minutes). **Note:** 35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word. **Note 1:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or Department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 4:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	Board - **Chairman;** 2. Under Secretary (dealing with establishment of Board) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – **Member;** 3. Two Scientist 'D', Central Board (to be nominated by the Chairman) **-Members;** 4. Administrative Officer (Pers.)- **Member.**

India Code

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25. Driver Grade-I.	6* (2021) *subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level- 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Non selection	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	**Promotion:** Driver Grade-II with five years of regular service in the level-4, subject to passing the following trade test: (i) Must be able to read English numerals and figures; (ii) Must have good knowledge of traffic regulations; (iii) Must have good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate fault and rectify minor running defects; and (iv) Must be able to clean carburetor, plug etc. **Note 1:** A practical test shall be conducted. **Note 2:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 4:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1. Member Secretary, Central Board – **Chairman;** 2. Under Secretary (dealing with establishment of Board) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – **Member;** 3. Two Scientist 'D', Central Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Administrative Officer (Pers.) - **Member.**

eGazCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26. Junior Technician.	07*(2021) *subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years. **Note:** Relaxable for Government servants up to forty years of age in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(a) Diploma in instrumentation or Electronics or Electrical or Mechanical or Automobile Engineering from a recognised Institute. (b) One year of relevant experience in servicing laboratory machines in an organisation or institution of repute. **Note:** The Appointing Authority shall indicate the particular trade or discipline in which Industrial Training Institute certificate or diploma in engineering is required on each occasion a vacancy is filled.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis including short term contract.	**Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with eight years service in of the grade render after appointment thereto on a regular basis in level-2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b)Possessing qualification and experience as prescribed for direct recruits in column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:** 1. Member Secretary, Central Board - **Chairman;** 2. Under Secretary (dealing with establishment of Board) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – **Member;** 3. Two Scientist 'D', Central Board (to be nominated by the Chairman) -**Members;** 4. Administrative Officer (Pers.) - **Member.**

			Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27. Senior Laboratory Assistant.	29*(2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Between 18 and 27 years. **Note:** Relaxable for Government servants up to forty years of age in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	Twelfth standard passed in Science from a recognised Board or Institution with three year of experience in the relevant field. **Desirable:** Degree in science from a recognised University or Institution.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion:** Junior Laboratory Assistant with eight years of regular service in the level-2 in the pay matrix (Rs.19,900 -63,200). **Note 1:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :** 1. Member Secretary, Central Board – **Chairman;** 2. Under Secretary (dealing with establishment of Board) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

			they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 3:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.	– **Member;** 3. Two Scientist 'D', Central Board, (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Administrative Officer (Pers.) – **Member.**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28. Driver Grade-II.	04 *(2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Between 18 to 27 years. **Note:** Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,	**Essential**: a. 10th standard passed, from a recognised Board; and b. Possessing a valid driving license for driving light or heavy vehicle; and c. Must be able to read English numerals and figures; and d. Must have good knowledge of traffic regulations; and e. Must be able to locate faults and carry out minor running repairs; and f. Must be able to change wheels and correctly inflate tyres; and g. Three years Experience of driving a light or heavy motor vehicle. **Note:** Driving test shall be conducted for the purpose of selection.

					Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years for direct recruit.	By Promotion failing which by direct recruitment.	Driver (Ordinary Grade) with eight years of regular service in the level-2, subject to passing the following trade test: (a) Must be able to read English numerals and figures; and (b) Must have good knowledge of traffic regulations; and (c) Must be able to locate faults and carry out minor running repairs; and (d) Must be able to change wheels and correctly inflate tyres. **Note 1:** A practical test shall be conducted. **Note 2:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:** 1. Member Secretary, Central Board- **Chairman;** 2. Under Secretary (dealing with establishment of Board) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – **Member;** 3. Two Scientist 'D', Central Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Administrative Officer (Pers.) – **Member.**

			rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 4:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29. Stenographer Grade-II.	03* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years. **Note:** Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential:** (a) 12th standard passed or equivalent from a recognised Board. (b) skill test norms: Dictation: 10 minutes @ 80 words per minute. Transcription: 50 minutes (English) on computer or 65 minutes (Hindi) on computer. **Note 1:** The Board shall have the discretion to prescribe the passing of a test in English shorthand and typing or Hindi shorthand and typing or to give an option to the candidates to qualify in either of these, on each occasion a vacancy is filled, depending on the requirement. Where option is given to the candidates to qualify in either English or Hindi shorthand or typing, the Board shall have the discretion to select such number of qualified candidates knowing English or Hindi shorthand and typing as are required. **Note 2:** Where a candidate passes both in English and Hindi test, he/she will be given preference in selection as compared to another, who passes with equal marks in one language only.

IndiaCode

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis including short-term contract.	**Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department or equivalent in the parent cadre or Department; and (ii) Possessing qualifications prescribed for direct recruits in column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :** 1. Member Secretary, Central Board – **Chairman;** 2. Under Secretary (dealing with establishment of Board) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – **Member;** 3. Two Scientist 'D', Central Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Administrative Officer (Pers.) - **Member.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30. Upper Division Clerk.	24*(2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection.	Between 18 to 27 years. **Note:** Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issue by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(i) Degree of recognised university or equivalent. (ii) A typing speed of 35 wpm in English or 30 wpm in Hindi only on computer. Time allowed 10 minutes.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Age: No. E.Q.: No.	Two years for direct recruit.	By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion:** Lower Division Clerks with eight years of regular service in level-2. **Note 1:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 3:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:** 1. Member Secretary, Central Board – **Chairman;** 2. Under Secretary (dealing with establishment of Board) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – **Member;** 3. Two Scientist 'D', Central Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Administrative Officer (Pers.) – **Member.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31. Data Entry Operator Grade-II.	06* (2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable.	Between 18 and 27 years. **Note:** Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential:** (a) 12th standard passed from recognised Board or Institution. (b) A speed test of not less than 8000 key depressions per hour for data entry work to be ascertained through speed test on computer.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis including short term contract.	**Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government, State Governments, Union territories administration, Autonomous or Statutory organisation, Public Sector Undertakings, University or Recognised Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years of service in the grade render after appointment thereto on a regular basis in level-3 (Rs.21,700-69,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with eight years of service in the grade render after appointment thereto on a regular basis in level-2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the qualifications and test as prescribed for direct recruits in column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government or State Governments or Union territory administrations or Central or State Autonomous or Statutory Bodies shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be 'exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:** 1. Member Secretary, Central Board **- Chairman;** 2. Under Secretary (dealing with establishment of Board) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – **Member;** 3. Two Scientist 'D', Central Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Administrative Officer (Pers.) – **Member.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32. Driver (Ordinary Grade).	08* (2021) *subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable.	Between 18 to 27 years of age. **Note:** Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti istrict and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential**: (a) 10th standard passed, from a recognised Board. (b) Possessing a valid driving license for driving light or heavy vehicle. (c) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles); and (d) Three years Experience of driving a light or heavy vehicle; **Desirable:** Three years service as Home Guard or Civil Volunteer. **Note:** A driving test shall be conducted for selection.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.	By direct recruitment.	Not applicable.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :** 1. Member Secretary, Central Board – **Chairman;** 2. Under Secretary (dealing with establishment of Board) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – **Member;** **3.** Two Scientist 'D', Central Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** **4.** Administrative Officer (Pers.) - **Member.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33. Junior Laboratory Assistant.	31*(2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Non-selection.	Between 18 and 27 years. **Note:** Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidate and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	**Essential**: 12th standard passed in science subject from a recognised Board. **Desirable**: Degree in Science from the recognised University or Institution.

					Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Age: No. Educational Qualification: Yes.	Two years for direct recruits.	Twenty percent by promotion failing which by direct recruitment. Eighty percent by direct recruitment.	**Promotions:** Field Attendant with three years regular service in the level-1 failing which Multi Tasking Staff Grade-I with three years regular service. **Note 1:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:** 1. Member Secretary, Central Board - **Chairman;** 2. Under Secretary (dealing with establishment of Board) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – **Member;** 3. Two Scientist 'D', Central Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Administrative Officer (Pers.) – **Member.**

IndiaCode

			pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 3:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34. Lower Division Clerk.	20*(2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Non-selection.	Between 18 to 27 years. **Note:** Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub- division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential:** (a)12th standard passed or equivalent qualification from a recognised Board. (b) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. *Time allowed ten minutes.* Note: 35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH or 9000 KDPH on an average of five key depressions for each word.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Age: No. Educational Qualification (7)(a) and (b): Yes.	Two years for direct recruits.	(i) Eighty five percent by direct recruitment through a competitive examination. (ii) Ten percent of the vacancies shall be filled from amongst the Multi Tasking Staff Grade-I in level-2 or Multi Tasking Staff in level-1 and who had passed 12th standard or equivalent qualifications and have rendered three years of regular service in the grade, based on departmental qualifying examination.	As prescribed in column (10). **Note 1:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility	**Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :** 1. Member Secretary, Central Board – **Chairman;** 2. Under Secretary (dealing with establishment of Board) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – **Member;** 3. Two Scientist 'D', Central Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Administrative Officer (Pers.) – **Member.**

		Note: If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those, who qualify at a later examination. (iii) Five percent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from group 'C' employees, who have three years regular service in posts in level-1.	service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 3:** The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35. Multi Tasking Staff (Grade-I).	16*(2021) * Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	**Promotion:** Multi-Tasking Staff with three years of regular service in level-1. **Note 1:** Where the juniors who have completed their qualifying or eligibility services are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Member Secretary, Central Board – **Chairman;** 2. Under Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (dealing with establishment of Board) – **Member;** 3. Two Scientist 'D', Central Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Administrative Officer (Pers.) – **Member.**

			Note 3: The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36. Field Attendant.	07* (2021) *subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).	Not applicable.	Between 18 to 27 years. **Note:** Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential**: 10th standard passed from a recognised Board. **Desirable**: (i) 12th standard passed with Science from a recognised Board. (ii) Robust health and ability to swim.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :** 1. Member Secretary, Central Board – **Chairman;** 2. Under Secretary (dealing with establishment of Board) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change – **Member;** 3. Two Scientist 'D', Central Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Administrative Officer (Pers.) – **Member.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37. Multi-Tasking Staff.	22* (2021) *subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).	Not applicable.	Between 18 and 27 years. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,	10th standard passed from a recognised Board or Institution. **OR** **(*)** Certificate from Industrial Training Institute in the relevant trade. ***(*)*** *The Appointing Authority shall indicate the particular trade or*

IndiaCode

					Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub- division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	*discipline in which* Industrial Training Institute *certificate is required on each occasion a vacancy is filled.*

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not applicable.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Member Secretary, Central Board - **Chairman;** 2. Under Secretary (dealing with establishment of Board) in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee – **Member;** 3. Two Scientist 'D', Central Board (to be nominated by the Chairman) – **Members;** 4. Administrative Officer (Pers.) – **Member.**

TANMAY KUMAR, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./445/2021-22]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.23 17:49:59 +05'30'